राजस्व विभाग

युद्ध जागीर पुरस्कार

दिनांक 24 अप्रैल, 1991

क्रमांक 829-ज-I-91/8543.—श्री घीसा राम पुत्र श्री भाव सिंह, निवासी गांव जमालपुर, तहसील गुड़गावां, जिला गुड़गावां को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3089-ज-2-77/3242 दिनांक 1 फरवरी, 1978 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री घीसा राम की दिनांक 28 अप्रैल 1989 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री घीसा राम की विधवा श्रीमती बतन देवी के नाम खरीफ, 1989 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 985-ज-I-91/8547.—श्री बाला राम, पुत्र श्री श्योलाल, निवासी गांव भाण्डवा, तहसील दादरी, जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 149-ज(II)85/7393, दिनांक 1 मार्च, 1985 द्वारा 150 रुपए और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर 1979 द्वारा 150 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री बाला राम की दिनांक 25 जनवरी, 1990 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमे आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री बाला राम की विधवा श्रीमती चिड़ियादेवी के नाम खरीफ, 1991 से 300 रुपए वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 3 मई, 1991

क्रमांक 827-ज-I-91/8773.—श्री गणपत सिंह, पुत्र श्री नत्थू राम, निवासी गांव खवासपुर, तहसील गुड़गावां, जिला गुड़गावां को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसचना क्रमांक 3043-जे० एन०-3-66/55 दिनांक 1 अप्रैल, 1966 द्वारा 150 रुपए और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री गणपत सिंह की दिनांक 22 जनवरी, 1990 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री गणपत सिंह की विधवा श्रीमती अनारो देवी के नाम खरीफ, 1990 से 300 रुपए वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

आर०एल० चावला,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

213 CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.